

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-175/05

संस्थित दिनांक-20.06.2005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. सतपाल सिंह पुत्र साधु सिंह सिख उम्र 63 साल
निवासी भरिया खेडी,
2. विक्रम सिंह पुत्र कुलवंत सिंह सिख उम्र 29 साल
निवासी भरियाखेडी,
3. शहीद खां पुत्र गफूर खां मुसलमान उम्र 49 साल
निवासी बाबा की वाबडी, चंदेरी,
4. सलीम खां पुत्र सुलेमान खां उम्र 59 साल
निवासी पंजाब बैंक के सामने चंदेरी,
5. यशपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह परमार
निवासी हरकुण्ड चंदेरी,
6. नारायण पुत्र गनेश प्रसाद शर्मा उम्र 51 साल
निवासी बाबा की बाबडी चंदेरी,
7. गोपाल सिंह उर्फ डग्गीराजा पुत्र चन्द्रभान सिंह चौहान
उम्र 56 साल निवासी चंदेरी,
8. लाडा उर्फ काबिल सिंह पुत्र निर्भय सिंह सिख
उम्र 44 साल निवासी हंसनगर,
9. सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह सिख उम्र 61 साल
निवासी ग्राम मीठाखेडा चक, चंदेरी,

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 28.12.2017 को घोषित)

01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 323, 326 अथवा 323/149, 326/149, 506 बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक-13.04.2004 को शाम लगभग 06:00 बजे बस स्टेण्ड चंदेरी में फरियादी नारायण को उपहति कारित करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण में विधि

विरुद्ध जमाव का गठन कर, घातक आयुद्धों से सुसज्जित होकर बल प्रयोग करके बलवा किया गया एवं विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुये जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में डग्गीराजा ने रिवॉल्वर से एवं शेष अभियुक्तगण ने लाठियों एवं लातघूसों से फरियादी नारायण सिंह को स्वेच्छया उपहति कारित एवं घोर उपहति कारित कर उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.04.2004 को शाम करीबन 06:00 बजे फरियादी नारायण रोडवेज बस स्टेण्ड पर मुकेश साहू की दुकान, जो शकरं लस्सी हाउस के नाम से हैं, वहां पर बैठा था, वही पर सतपाल सिंह सिख और विक्रम सिख भी वही पर बैठे थे, पिछले विधान सभा चुनाव की चर्चा चल रही थी, जिस पर से आपस में मुंहवाद एवं गाली-गलौच हो गया था, सतपाल व विक्रम बोले कि मादरचोद तू यही रुकना और बोले डग्गीराजा उर्फ गोपाल सिंह चौहान विधायक को लेकर आते हैं, कुछ देर बाद जैसे ही नारायण मुकेश साहू की दुकान के सामने रोड पहुंचा, तो डग्गी राजा उर्फ गोपाल सिंह चौहान विधायक चंदेरी अपनी टाटा सूमो नंबर एम0पी0 16 ए 4684 से सतपाल सिख विक्रम सिख, लाडा पंजाबी, सलीम, सईद, ज्ञानी पंजाबी उतरे और यह सभी एक राय होकर नारायण सिंह घर लिया और गोपाल सिंह चौहान विधायक चंदेरी बोले कि मारो सालों के, सोई सतपाल सिख हाथ में ली हुई रिवॉल्वर को नारायण सिंह के सिर में मारा, दाहिनी तरफ चोट लगी खून निकलने लगा एवं विक्रम सिंह, सुरेंद्र सिंह, कैलाश शर्मा, सईद मोहम्मद, यशपाल सिंह, ज्ञानी ड्राईवर, लाडा सरदार, सलीम खान ने डंडों व लातघूसों से मारपीट की, जिससे फरियादी के दोनों बाहों सीने, पेट, पीठ, पैर में मुंदी चोटें आई।

03—विधायक गोपाल सिंह चौहान ने अपनी रिवॉल्वर चोट पहुंचाई, जो फरियादी की बाह में लगी खून निकलने लगा। मौके पर आशाराम यादव, अब्दुल, देवीसिंह, मुकेश साहू, राजू जैन, महेश आ गये और इन्होंने ने नारायण सिंह को बचाया तथा घटना देखी। डग्गीराजा कहते हुये चला गया कि मादरचोद आज तो बच गया आईन्दा तुझे जान से खत्म कर देंगे। उक्त दिनांक को ही फरियादी नारायण सिंह यादव द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—148/04 अंतर्गत धारा—147, 148, 148, 323, 294, 506बी भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में

विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—28.09.2016 को फरियादी नारायण सिंह यादव द्वारा अभियुक्त यशवंत और विक्रम से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये, जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण यशवंत व विक्रम को भा0द0वि0 की धारा 323, 323/149 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त यशवंत व विक्रम पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 326, 326/149 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

05—अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

06—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.04.2004 को शाम लगभग 06:00 बजे बस स्टेण्ड चंदेरी में फरियादी को उपहति कारित करने के सामान्य उद्देश्य निर्मित कर उक्त उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर एवं विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बने रहते हुये, घातक आयुद्ध रिवाल्वर से सुसज्जित होकर जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल प्रयोग द्वारा बल्वा कारित किया ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बने रहते हुये जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अभियुक्त डग्गीराजा एवं सतपाल सिंह ने रिवाल्वर से एवं शेष अभियुक्तगण ने लाठियों एवं लातघूसों से फरियादी नारायण सिंह

	को स्वेच्छया उपहति कारित एवं घोर उपहति कारित की ?
3	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी नारायण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

07— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है।

08— फरियादी नारायण सिंह (अ0सा0—6) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 13.04.2004 को शाम 05:00—06:00 बजे वह पुराने बस स्टेण्ड पर मथुरालाल व अन्य लोगों के साथ चाय पी रहा था और विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहा था, तो मौके पर अभियुक्त सतपाल और विक्रम मौजूद थे, जिनमें से सतपाल ने उससे गाली देकर कहा कि तू डग्गीराजा की बुराई कर रहा है, तूझे अभी राजा साहब को बुलवाकर मरवाते हैं। फरियादी के अनुसार इसके बाद सतपाल और विक्रम मोटरसाईकिल से वहां से चले गये और वह चाय पीकर अपने घर की तरफ जाने लगा, तो विधायक डग्गीराजा सहित अभियुक्तगण टाटा सूमो गाडी से वहां आ गये और उसे चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद डग्गीराजा ने व अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी तथा उक्त मारपीट में सतपाल ने उसके सिर में रिवाल्वर के बट से मारा था, वही अभियुक्त सलीम ने 12 बोर की बन्दूक से एवं सईद ने 315 बोर की बंदूक के बट से व शेष अभियुक्तगण ने लातों व लाठी से उसे मारा था तथा अभियुक्त डग्गीराजा ने अपनी रिवाल्वर से गाली चलाई थी, जो उसके बाये हाथ के कन्धे के पास लग कर निकल गई थी। जिससे फरियादी का हाथ कट गया था और खून निकलने लगा था।

09— फरियादी नारायण सिंह (अ0सा0—6) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों के अनुसार घटना दो चरणों में हुई, प्रथम तो जब वह बस स्टेण्ड पर चाय पी रहा

था, तो चाय पीने होने दौरान विधानसभा चुनाव की चर्चा को लेकर अभियुक्त सतपाल से उसका विवाद हो गया था तथा उस समय अभियुक्त विक्रम भी वहां मौजूद था। नारायण सिंह (अ0सा0-6) के अनुसार चाय पीने के दौरान मात्र अभियुक्त सतपाल ने उसे गालियां दी थी तथा शेष घटना दूसरे चरण में अभियुक्त डग्गीराजा सहित अभियुक्तगण के पुनः इस घटना के कुछ समय के बाद घटना स्थल पर पहुंचकर कारित की गई थीं।

- 10— फरियादी नारायण सिंह (अ0सा0-6) का अभियुक्त सतपाल से चाय की दुकान पर पहले विवाद हुआ था, इस संबंध में अभियोजन साक्षी आशाराम (अ0सा0-7) ने भले ही कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं, परन्तु पश्चात्वर्ती घटना के संबंध में इस साक्षी ने नारायण सिंह (अ0सा0-6) के न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि की है। फरियादी नारायण सिंह (अ0सा0-6) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में यह स्पष्ट किया है कि घटना के समय वह कन्छेदी साहू के होटल पर चाय पी रहा था तथा इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में यह कथन दिये हैं कि जब वह चाय पी रहा था, तो चुनाव चर्चा चल रही थीं, और उस समय सतपाल और विक्रम वहां आये थे, तथा किसी बात पर से सतपाल वहां नाराज हो गया था। वहीं मौके पर उपस्थित विक्रम ने कुछ नहीं किया।
- 11— फरियादी नारायण सिंह (अ0सा0-6) के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि उसका सतपाल से जब चुनाव की चर्चा करने के दौरान विवाद हुआ था, तो उक्त विवाद कन्छेदी साहू के चाय के होटल पर हुआ था। अभियोजन की ओर से उक्त चाय के होटल के स्वामी मुकेश कुमार (अ0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये, जिसमें अपने कथनों में यह व्यक्त किया है कि उसकी पुराने बस स्टेण्ड के पास लस्सी की दुकान है, लगभग 05:00—06:00 बजे अभियुक्त सतपाल व विक्रम उसके होटल पर बैठे थे तथा उस समय उसके होटल पर फरियादी नारायण सिंह अपने दो तीन साथियों के साथ आया था और सिंधिया और डग्गीराजा को गालियां देने लगा और जब अभियुक्त सतपाल के द्वारा गाली देने से मना किया, तो नारायण ने ही अपनी बैसाखी से सतपाल जिस बेन्च पर बैठा था, उसे मारा, जिससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद उसने उन लोगों को दुकान के बाहर जाकर विवाद करने के लिये कहा था, जिसके बाद दुकान के बाहर आकर आपस में गाली-गलौच करने लगे थे, जिसके बाद अभियुक्त नारायण ने सतपाल की दाढ़ी खींच ली थीं।

- 12— बचाव पक्ष की ओर से इस बात से इन्कार नहीं किया गया कि अभियुक्त सतपाल का कन्छेदी साहू के होटल पर फरियादी नारायण से विवाद नहीं हुआ। बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में कन्छेदी (ब0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, जिसका अपने न्यायालीन कथनों में हालांकि यह कहना है कि उसके सामने किसी भी आरोपीगण के साथ किसी व्यक्ति का कोई विवाद नहीं हुआ तथा उसकी दुकान के अलावा किसी स्थान पर कोई विवाद हुआ हो, तो उसे इसकी जानकारी नहीं है, परन्तु कन्छेदी साहू के पुत्र महेश कुमार (अ0सा0-2) जो कि अभियोजन का साक्षी है, अपने न्यायालीन कथनों में यह स्वीकार करता है कि उसकी दुकान पर नारायण और सतपाल का विवाद हुआ था।
- 13— बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में अभियुक्त सतपाल (ब0सा0-2) के कथन बचाव साक्षी के रूप में न्यायालय में कराये गये, जिसमें स्वयं अभियुक्त सतपाल (ब0सा0-2) ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वह कन्छेदी के होटल पर जब चाय पी रहा था, तो उसे देखकर फरियादी नारायण, सिंधिया और डग्गी को मादरचोद की गालियां देने लगा और उससे कहने लगा कि सिंधिया और डग्गी के चाचा आ गये तथा फरियादी ने उसे पीछे से बैसाखी से मारा और उसकी दाढ़ी पकड़ ली। जिसे छुड़ा कर वह भाग कर सीधा थाने पहुंचा था।
- 14— अतः अभियुक्त सतपाल (ब0सा0-2) के कथनों से भी फरियादी नारायण (अ0सा0-6), एवं मुकेश कुमार (अ0सा0-2) के कथनों की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक कन्छेदी साहू के होटल पर शाम के समय सर्वप्रथम अभियुक्त सतपाल से फरियादी नारायण (अ0सा0-6) का चुनावीवार्ता को लेकर तथा सिंधिया और विधायक डग्गीराजा को गालियां देने के कारण विवाद हुआ था। इस विवाद में सतपाल के साथ अभियुक्त विक्रम भी मौके पर था, इस संबंध में नारायण (अ0सा0-6) ने न्यायालय में कथन अवश्य दिये हैं, परन्तु वह अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में यह भी कहता है कि विक्रम ने मौके पर कुछ नहीं किया था, जबकि स्वयं सतपाल (ब0सा0-2) का अपने कथनों में कहना है कि इस घटना के समय वह अकेला ही होटल पर था, जबकि नारायण (अ0सा0-6) के कथन इस संबंध में साक्षी मुकेश कुमार (अ0सा0-2) के कथनों से समर्थित है कि इस घटना के समय सतपाल के साथ अभियुक्त विक्रम भी मौजूद था तथा इस संबंध में फरियादी नारायण (अ0सा0-6) के कथनों की पुष्टि प्रकरण में दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-6 में लेखियें घटना

से भी होती है।

- 15—नारायण (अ0सा0-6) हालांकि विक्रम के द्वारा इस घटना में कुछ नहीं करना बताता है, वहीं सतपाल (ब0सा0-2) विक्रम को घटना स्थल पर इस घटना के समय उपस्थित न होना बताता है। अभियुक्त विक्रम के संबंध में फरियादी नारायण (अ0सा0-6) एवं अभियुक्त सतपाल (ब0सा0-2) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन स्पष्ट रूप से प्रकरण में फरियादी के द्वारा अभियुक्त विक्रम से हुये राजीनामें के प्रभाव के कारण प्रभावित हुये प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसी कारण से नारायण (अ0सा0-6) जहां विक्रम के द्वारा होटल पर कोई विवाद उसके साथ न किया जाना बताता है। वहीं अभियुक्त सतपाल विक्रम को इस समय मौके उपस्थित न होना बताता है। अतः इन साक्षियों के उपरोक्त कथनों से कन्छेदी साहू के होटल पर घटित हुई घटना की सत्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 16— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक 13.04.2004 को फरियादी नारायण सिंह (अ0सा0-6) व अभियुक्त सतपाल (ब0सा0-2) व विक्रम सिंह का कन्छेदी साहू के होटल पर इस कारण से विवाद हुआ था कि फरियादी नारायण (अ0सा0-6) चुनावी चर्चा के दौरान सिधिया व विधायक डग्गीराजा को बुरा भला कह रहा था। इस विवाद में फरियादी नारायण (अ0सा0-6) के साथ अभियुक्त सतपाल व विक्रम सिंह के द्वारा कोई मारपीट की घटना कारित कर फरियादी नारायण सिंह (अ0सा0-6) को उपहति कारित की गई, ऐसा न तो फरियादी नारायण सिंह (अ0सा0-6) का अपने कथनों में कहना है और न उसके द्वारा प्रदर्श-पी-6 के प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसी कोई घटना लेख कराई गई।
- 17— नारायण (अ0सा0-6) के अनुसार कन्छेदी साहू के होटल पर हुये विवाद के बाद विधायक डग्गीराजा सहित सभी अभियुक्तगण कन्छेदी साहू के होटल पर आये थे, जहां होटल के बाहर इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी, जबकि अभियुक्त सतपाल (ब0सा0-2) का अपने कथनों में यह प्रतिरक्षा है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई बल्कि कन्छेदी साहू के होटल पर जो विवाद हुआ था उसमें फरियादी नारायण (अ0सा0-6) के द्वारा उसे पीछे से बैसाखी मारी थी तथा उसकी दाढ़ी पकड़ ली थी। जिसे छुड़ाकर वह थाने पर गया था, जहां उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसे थाने से भी नहीं निकलने दिया गया।

- 18— फरियादी नारायण (अ0सा0—6) व अभियुक्त डग्गीराजा सहित अभियुक्तगण एक दूसरे के राजनैतिक विरोधी हैं, यह प्रकरण में विवादित नहीं है, तथा स्वयं फरियादी नारायण (अ0सा0—6) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—5 में यह स्पष्ट किया है कि वह घटना दिनांक को बी0जे0पी0 का सदस्य था, वही अभियुक्त डग्गीराजा कांग्रेस का सदस्य था तथा घटना दिनांक को अभियुक्त डग्गीराजा कांग्रेस विधायक था, जिसमें बी0जे0पी0 के देशराज सिंह को हराया था। नारायण (अ0सा0—6) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—11 में अपने उपर लगे मुकदमों के संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर स्वयं फरियादी का यह कहना है कि उसके उपर जो मुकदमें चले हैं, वह राजनैतिक षड्यंत्र के कारण विधायक डग्गीराजा ने उस पर किये होंगे।
- 19— नारायण (अ0सा0—6) के अनुसार कन्छेदी साहू के होटल पर हुये विवाद के कारण पुनः अभियुक्त डग्गीराजा सहित सभी अभियुक्तगण मौके पर आये थे और उस विवाद के कारण उन्होंने फरियादी नारायण (अ0सा0—6) के साथ दृष्टांतक हथियारों से लेष होकर मारपीट की, जिसमें अभियुक्त डग्गीराजा ने अपनी रिवॉल्वर से फायर किया था, जिसकी गोली उसके बाये हाथ के कन्धे के पास लग कर निकल गई थी तथा उसे उक्त मारपीट में अन्य जगह भी चोटे आई थी, जबकि इसके विपरीत अभियुक्त सतपाल (ब0सा0—2) के कथनों के माध्यम से बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा है कि कन्छेदी साहू के होटल पर हुये विवाद के बाद कोई घटना नहीं हुई तथा जब सतपाल थाने पर शिकायत करने गया, तो उल्टा उसे ही थाने से बाहर निकलने नहीं दिया गया। फरियादी नारायण (अ0सा0—6) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—12 में बचाव पक्ष के द्वारा सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि आरोपीगण ने फरियादी के साथ कोई मारपीट नहीं ली तथा राजनैतिक कारणों से डग्गीराजा के विधायक चुनाव जीतने के बाद फरियादी ने झूठी रिपोर्ट की।
- 20— अतः नारायण (अ0सा0—6) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों एवं अभिलेख पर आई शेष साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वह स्वयं बी0जे0पी0 पार्टी का सदस्य हैं तथा अभियुक्त डग्गीराजा जो कि घटना के समय एवं वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी से विधायक है, से फरियादी नारायण (अ0सा0—6) का पूर्व से राजनैतिक रंजिश चल रही हैं तथा घटना दिनांक 13.04.04 को भी अभियुक्त सतपाल से फरियादी नारायण (अ0सा0—6) का कन्छेदी साहू के चाय के होटल पर विवाद होने का कारण भी राजनैतिक चर्चा के दौरान अभियुक्त डग्गीराजा व सिंधिया के विरुद्ध उच्चारित किये गये अपशब्द हैं।

- 21— अतः जहां फरियादी नारायण (अ0सा0—6) एवं अभियुक्त डग्गीराजा सहित शेष अभियुक्तगण का एक दूसरे के प्रति राजनैतिक विरोध अथवा राजनैतिक रंजिश होना अभिलेख पर आई साक्ष्य से साबित है तथा अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह भी साबित है, कि कन्छेदी साहू के होटल पर फरियादी नारायण (अ0सा0—6) के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही चर्चा के दौरान अभियुक्त डग्गीराजा जो कि तत्समय विधायक था एवं सिंधिया के विरुद्ध अपशब्द उच्चारित करने के कारण अभियुक्त सतपाल से उसका विवाद हुआ था। वहाँ यह देखा जाना है कि फरियादी तथा अभियुक्तगण के मध्य चुनावी रंजिश के चलते वास्तव में अभियुक्तगण ने पुनः मौके पर आकर कन्छेदी साहू के होटल पर हुये विवाद के बाद फरियादी नारायण साहू (अ0सा0—6) की दृष्टांतक हथियारों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति अथवा गंभीर उपहति कारित की गई या फिर उक्त चुनावी रंजिश के चलते कन्छेदी साहू के होटल पर हुये विवाद के बाद स्वयं फरियादी ने ही अभियुक्तगण के विरुद्ध एक काल्पनिक घटना बनाकर झूठी रिपोर्ट तो नहीं की गई।
- 22— उपरोक्त दोनों ही स्थितियों पर विचार किये जाने के लिये अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के द्वारा एकत्रित की गई साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्कालीन थाना प्रभारी चंदेरी हुकुम सिंह यादव के द्वारा दर्ज किये जाने के बाद स्वयं ही प्रकरण की विवेचना प्रारंभ कर घटना दिनांक को ही घटना स्थल का नक्शा—मौका प्रदर्श—पी—7 बनाया गया है तथा घटना दिनांक को ही अभियुक्त सतपाल सिंह, विक्रम सिंह, सईद, सलीम, यशपाल व कैलाश नारायण को प्रदर्श—पी—9 लगायत 14 के गिरफ्तारी पत्रक के अनुसार उपरोक्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी घटना दिनांक को ही बस स्टेण्ड चंदेरी से 19:35 से 20:00 की अवधि में की गई एवं आहत नारायण का मजरूब फार्म प्रदर्श—पी—8 भर के उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिये प्रेषित किया गया, परन्तु इस कार्यवाही के बाद प्रकरण की विवेचना सी0आई0डी0 को सौंपी गई तथा प्रकरण की विवेचना सी0आई0डी0 विभाग के तत्कालीन निरीक्षक महीपाल सिंह (अ0सा0—10) के द्वारा की गई।
- 23— अभियोजन की ओर से प्रकरण में महीपाल सिंह (अ0सा0—10) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, जिसमें इस साक्षी ने इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक—28.08.2004 को अपराध क्रमांक—148/04 अर्थात् इस प्रकरण की विवेचना उसे सी0आई0डी0 के डी0आई0जी0 ऑफिस से प्राप्त हुई थी, जिसके

बाद उसने प्रकरण में फरियादी नारायण (अ0सा0-6) सहित आशाराम (अ0सा0-7), अब्दुल नसीब (अ0सा0-1) सहित मुकेश साहू (अ0सा0-2), राजू (अ0सा0-3), महेश (अ0सा0-4), देवी सिंह (अ0सा0-5) के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

24- प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपरोक्त सभी साक्षियों को परीक्षण न्यायालय में कराया गया है जिसमें साक्षी अब्दुल नसीम (अ0सा0-1) सहित राजू (अ0सा0-3), व देवीसिंह (अ0सा0-5) ने अपने सामने कोई घटना घटित न होना बताया है तथा घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है तथा यह साक्षी पुलिस को भी कोई कथन न देना अपने न्यायालीन कथनों में बताता है। महेश चौहान (अ0सा0-4) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में यह तो बताया है कि घटना 8-9 साल पहले की होकर दोपहर के समय की है तथा झगड़े के समय काफी भीड़ लग गई थी, परन्तु इस साक्षी का कहना है कि भीड़ अधिक होने के कारण वह नहीं देख पाया है, कि कौन-कौन व्यक्ति आपस में झगड रहे थे।

25- अतः महेश चौहान (अ0सा0-4) के कथन मात्र इस बात पर अभियोजन का समर्थन करते हैं कि 8-9 वर्ष पहले उसने पुराने बस स्टेण्ड पर जहां पर पत्रिका व किताबों का ठेला लगाता है, पर दो पक्षों में झगडा होते हुये देखा था, परन्तु कौन किसने झगड रहा था तथा किसका किससे विवाद हुआ, यह साक्षी अपने कथनों में नहीं बताया। अतः महेश चौहान (अ0सा0-4) के यदि उपरोक्त कथनों को ही अभियोजन के समर्थन में देखा जावे, तो उससे यह तो स्पष्ट होता है कि उक्त दिनांक को भी इस साक्षी ने मौके पर विवाद देखा था, परन्तु उसने कन्छेदी साहू के होटल पर हुआ विवाद देखा था अथवा बाद में फरियादी के द्वारा कथित घटना का विवाद देखा था, इसका निष्कर्ष इस साक्षी के कथनों से नहीं निकला जा सकता है।

26- अतः अब्दुल नसीम (अ0सा0-1) सहित राजू (अ0सा0-3), व देवीसिंह (अ0सा0-5) महेश चौहान (अ0सा0-4) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन साक्षियों के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है और न ही इन साक्षियों के कथनों से फरियादी नारायण (अ0सा0-6) के द्वारा न्यायालय में बताई गई इस घटना को बल मिलता है कि वास्तव में डग्गीराजा सहित अभियुक्तगण ने पुनः टाटा सूमों से आकर घातक हथियारों से फरियादी नारायण (अ0सा0-6) के साथ मारपीट

की थी।

- 27— अभियोजन साक्षी मुकेश कुमार (अ0सा0—6) के द्वारा अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में कथन देते हुये अभियुक्त सतपाल (अ0सा0—2) के द्वारा दिये गये कथनों का समर्थन किया है तथा इस साक्षी ने सतपाल (अ0सा0—2) के कथनों की पुष्टि करते हुये यह स्पष्ट किया है कि कन्छेदी साहू के होटल पर फरियादी नारायण (अ0सा0—6) के द्वारा डग्गीराजा व सिंधिया को अपशब्द कहने पर सतपाल (ब0सा0—2) के द्वारा आपत्ति किये जाने के बाद नारायण (अ0सा0—6) ने ही सतपाल (ब0सा0—2) को बैसाखी मारकर उसकी दाढ़ी पकड़ कर झूमा—झटकी की थीं, जो उसकी दुकान पर हुई थी, जिसके बाद सतपाल और नारायण दुकान से बाहर आ गये थे और दोनों के बीच गाली—गलौच हुई थीं।
- 28— महेश (अ0सा0—4) ने अपने न्यायालीन कथनों में कन्छेदी साहू के होटल पर हुई घटना के संबंध में अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में कथन दिये हैं वही इस साक्षी का पश्चातवर्ती घटना के संबंध में यह कहना है कि होटल पर हुये विवाद के आधे घण्टे बाद गोपाल सिंह उसकी दुकान पर आया था तथा उस समय नारायण सिंह भी आ गया था और नारायण सिंह ने ही डग्गीराजा को गालियां दी थी, जिसमे डग्गीराजा के साथ लोगों ने नारायण के साथ झूमा—झटकी कर दी थी तो नारायण ने भी उन्हें बैसाखी से मारा था। इस साक्षी का यह कहना है कि मौके पर उसने कोई गोली चलने की आवाज नहीं सुनी।
- 29— अतः मुकेश कुमार (अ0सा0—2) के द्वारा पश्चातवर्ती घटना के संबंध में दिये गये उपरोक्त कथनों को यदि देखे तो उपरोक्त कथनों में यह भी यह साक्षी अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में कथन देता है कि कन्छेदी साहू के होटल पर विवाद के आधे घण्टे के बाद डग्गीराजा उसके होटल पर आया अवश्य था, परन्तु बाद में नारायण (अ0सा0—6) भी आ गया था तथा नारायण (अ0सा0—6) ने ही डग्गीराजा को गालियां दी थीं। मौके पर न तो कोई गोली चली और न ही अभियुक्तगण ने नारायण के साथ कोई मारपीट की। जबकि अभियोजन कहानी एवं फरियादी नारायण (अ0सा0—6) के कथन उपरोक्त घटना से भिन्न है, जिससे नारायण (अ0सा0—6) व मुकेश कुमार (अ0सा0—2) के उपरोक्त कथनों में स्पष्ट गम्भीर विरोधाभास देखा जा सकता है, परन्तु मुकेश कुमार (अ0सा0—2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि उसके द्वारा

पूर्व में दिये गये कथन प्रदर्श-डी-2 से होती है।

- 30— अतः मुकेश कुमार (अ0सा0-2) की साक्ष्य एक ओर अभियोजन घटना के विरुद्ध होकर उसके पूर्व के कथनों से मेल खाने से अखण्डित है, वहीं दूसरी ओर इस साक्षी की साक्ष्य अभियोजन घटना के विपरीत होने के कारण एवं फरियादी के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों के विपरीत होने के कारण इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 31— अभियोजन के प्रत्यक्ष साक्षियों के द्वारा पक्ष विरोधी होने के बाद एवं अभियोजन का अपने न्यायालीन कथनों में समर्थन न करने के पश्चात् मात्र प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में फरियादी नारायण (अ0सा0-6) व आशाराम (अ0सा0-7) की साक्ष्य शेष रह जाती है, जिसका सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। नारायण (अ0सा0-6) व आशाराम (अ0सा0-7) ने अपने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात पर अभियोजन का पूरी तरफ से समर्थन किया है कि कन्छेदी साहू के होटल पर सतपाल से हुये विवाद के बाद अभियुक्त डग्गीराजा सहित सभी अभियुक्तगण टाटा सूमो से मौके पर आये थे और उसे घेर लिया था तथा सतपाल ने रिवॉल्वर के बट से उसके सिर में बाई और दाई ओर चोट पहुचाई थी तथा सलीम ने 12 बोर की बंदूक बट एवं सईद ने 315 बोर की बंदूक के बट से मारपीट की थी तथा डग्गीराजा ने रिवॉल्वर से गोली चलाई थी, जो कि फरियादी के बाये हाथ के कन्धे के पास लग कर निकल गई थी।
- 32— यहां यह उल्लेखनीय है कि आशाराम (अ0सा0-7) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथन ही उसकी साक्ष्य पर संदेह करने का कारण भी है, क्योंकि आशाराम (अ0सा0-7) का स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में यह कहना है कि वह चंदेरी का मूल निवासी न होकर ग्राम सिंहपुर चाल्दा में रहता है वहीं उसका जन्म भी हुआ है तथा वह चंदेरी में आता-जाता रहता है। इस साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को भी वह घर का सामान लेने के लिये सुबह 10:00-11:00 बजे चंदेरी आया था और शाम 06:00 बजे पुराने बस स्टेण्ड पर वापस जाने के लिये बस का इंतजार कर रहा था। आशाराम (अ0सा0-7) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-5 में स्वयं यह कहना है कि वह आरोपीगण को घटना के पहले से नहीं जानता था, रिपोर्ट में नाम आ जाने के कारण वह आरोपीगण को नाम से जानता है।
- 33— आशाराम (अ0सा0-7) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है

कि घटना दिनांक को भी यदि उसके सामने घटना घटित हुई, तो वह निश्चित रूप से अभियुक्तगण को नहीं जानता था और यदि वह अभियुक्तगण को जानता ही नहीं था, तो अचानक हुई घटना में उसका प्रत्येक अभियुक्तगण के बारे में घटना में किये गये कृत्यों का उल्लेख घटना के लगभग 13 साल बाद न्यायालय में अपने कथनों में करना यह सोचने पर विवश करता है कि या तो इस साक्षी की स्मरण शक्ति इतनी अच्छी हैं, जो किसी घटना का 13 साल पहले देखा गया प्रत्येक क्षण का विवरण बता सके, या फिर दूसरी स्थिति यह हो सकता है कि इस साक्षी के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन पूरी तैयारी के साथ रटी-रटाई भाषा में दिये गये हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।

- 34— आशाराम (अ0सा0—7) की यदि स्मरण शक्ति की ही उसके कथनों से जांच की जावे तो सर्वप्रथम तो निश्चित रूप से उसने अपने कथनों में प्रत्येक अभियुक्त के कृत्य को नाम सहित न्यायालय में बताया है। यदि घटना के 13 वर्ष के बाद यह साक्षी बिना अभियुक्तगण की पूर्व की जान पहचान के उनके नाम सहित न्यायालय में उनके द्वारा किये गये कृत्यों को किसी चलचित्र के सामान प्रस्तुत कर सकता है, तो निश्चित रूप से किसी अन्य विषय पर जो कि उतनी अवधि पूर्व का हैं, पर भी इस साक्षी की स्मरण शक्ति उतनी ही अच्छी तरह से कार्य करनी चाहिए।
- 35— आशाराम (अ0सा0—7) सिंहपुर चाल्दा का निवासी है, जो घटना दिनांक को प्रातः 10:00—11:00 बजे चंदेरी में सामान लेना आना बताता है तथा घटना के समय शाम 06:00 बजे बस स्टेण्ड पर वापस चंदेरी जाने के लिये बस का इंतजार करना बताता है, परन्तु यह साक्षी अपने न्यायालीन कथनों में यह तक स्पष्ट नहीं कर सका कि वह घटना दिनांक को क्या सामान लेने आया था, तथा उसने वास्तव में सामन लिया था अथवा नहीं। यह साक्षी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि वास्तव में उसने घटना देखी तो उसके हाथ में सामान था, भी अथवा नहीं तथा उसने सामान यदि किसी को दिया था, तो वह किसे दे दिया था।
- 36— आशाराम (अ0सा0—7) एक ओर अपने मुख्यपरीक्षण में प्रत्येक अभियुक्तगण का कृत्य स्पष्ट तौर पर बताता है, परन्तु यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहता है कि बहुत से लोग मारपीट कर रहे थे, वह झगड़े में बीच में नहीं गया, उसने दूर से झगडा देखा था तथा वह नहीं बता सकता है कि किस आरोपी ने

कितनी लाठी, डंडे एवं बट मारे थे। यदि यह साक्षी आरोपीगण को पहले से नहीं जानता था और उसने झगडा थी दूर से देखा था, तो वह कैसे बता सकता है कि किस अभियुक्त ने किस हथियार से फरियादी को किस जगह पर प्रहार कर उपहति कारित की थीं।

- 37— आशाराम (अ0सा0—7) घटना स्थल के संबंध में भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि कन्छेदी के होटल के सामने राजघाट मुंगावली रोड हैं, तथा पशु चिकित्सालय के तरफ आने पर पवन पान वाले की दुकान है। अतः इस साक्षी ने उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है इस साक्षी ने यह दर्शाने का प्रयास किया है उसे कन्छेदी के होटल पवन पान वाले की दुकान एवं पशु चिकित्सालय कहा पर हैं, इसकी पूरी जानकारी है। निश्चित रूप से यदि इस साक्षी की स्मरण शक्ति तेज है, तो उसे यह बताने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए की, कन्छेदी की दुकान जहां पर पूर्व में सतपाल व फरियादी नारायण सिंह का विवाद हुआ था, वहां से पशु अस्पताल कितनी दूरी पर है। आशाराम (अ0सा0—7) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—3 में यह नहीं बता सका कि कन्छेदी की दुकान से पशु चिकित्सालय कितनी दूरी पर है तथा यह साक्षी अन्दाजे के आधार पर भी यह नहीं बता सका कि कन्छेदी की दुकान एवं पशु चिकित्सालय की बीच की दूरी कितनी हैं।
- 38— आशाराम (अ0सा0—7) को यदि वास्तव में घटना स्थल व उसके आसपास की जानकारी होती, तो उसे यह बताने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि कन्छेदी के होटल से पशु चिकित्सालय कितनी दूरी पर है। जबकि नक्शा मौका प्रदर्श—पी 7 से यह स्पष्ट होता है कि कन्छेदी के होटल से मात्र दो दुकाने छोडकर पशु चिकित्सालय है। यदि इस साक्षी ने वास्तव में घटना देखा होता या उसे कन्छेदी के होटल एवं पशु चिकित्सालय के बारे में जानकारी होती तो वह आसानी से यह बता सकता था कि उनके बीच में दूरी कितनी हैं।
- 39— आशाराम (अ0सा0—7) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में यह कहता है कि कन्छेदी के होटल के बगल में पवन पान वाले की दुकान के सामने वह खडा था, तथा मारपीट की घटना पवन पान वाले की दुकान और कन्छेदी की दुकान के बीच में हुई थी तथा इस साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि कन्छेदी की दुकान और पवन वाले की दुकान के बीच में यदि कोई दुकान हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। यदि यह साक्षी 13 वर्ष पश्चात् घटना के संबंध में बिना किसी पूर्व की जान पहचान के घटना में अभियुक्तगण के कृत्य को चल

चित्र के सामान बता सकता है तो उसे यह बताने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि वास्तव में पवन पान वाले की दुकान, कन्छेदी की दुकान के किस ओर है तथा किस स्थान पर झगडा हुआ था।

- 40— यह उल्लेखनीय है कि स्वयं फरियादी नारायण (अ0सा0—6) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—7 में यह कहना है कि कन्छेदी के दुकान के पूर्व में मुंगावली चंदरी रोड है तथा रोड के दूसरी तरफ पवन पान वाले की दुकान है और यदि कन्छेदी की दुकान के बाद रोड है, और उसके बाद रोड के दूसरी तरफ पवन पान वाले की दुकान हैं, तो आशाराम (अ0सा0—7) का अपने कथनों में यह कहना कि कन्छेदी की दुकान की बगल से पवन की दुकान है तथा वह वही पर खडा था और इन दोनों दुकानों के बीच झगडा हुआ, अपने आप में असत्य साबित हो जाता है।
- 41— आशाराम (अ0सा0—7) कि स्मरण शक्ति यदि इतनी तेज होती कि वह किसी घटना के 13 वर्ष बाद अभियुक्तगण से बिना पूर्व की जानपहचान के मात्र दूर से घटना देखने के आधार पर यह बता सकता है कि किस अभियुक्त ने किस हथियार से फरियादी को शरीर में किस जगह पर उपहति कारित की, तो वह अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर यह अवश्य बता सकता था कि वह घटना दिनांक को वह चंदेरी में क्या सामान लेने आया था तथा वास्तव में वह क्या सामान खरीद कर वापस चंदेरी जा रहा था। इस साक्षी को अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर यह बताने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि पशु अस्पताल जो कि कन्छेदी की दुकान से मात्र दो दुकान छोडकर है, वह मौके पर आपस में कितनी दूरी पर हैं तथा वास्तव में मौके पर पवन पान वाले की दुकान एवं कन्छेदी की दुकान की स्थिति क्या है तथा किस जगह पर घटना घटित हुई थी।
- 42— अतः उपरोक्त आधार पर आशाराम (अ0सा0—7) की घटना स्थल पर उपस्थिति जहां संदिग्ध प्रतीत होती है, वहीं इस साक्षी के द्वारा अभियोजन के समर्थन में दिये गये कथन ऐसे प्रतीत होते हैं कि उसने स्वयं कोई घटना नहीं देखी, बल्कि अपने पूर्व के बयानों को रटकर न्यायालय में कथन दिये हैं, जिससे इस साक्षी की साक्ष्य लेषमात्र भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। नारायण (अ0सा0—6) एवं आशाराम (अ0सा0—7) कुल 9 अभियुक्तों के द्वारा घटना में मारपीट किया जाना बताते हैं, जिसमें सतपाल के द्वारा रिवॉल्वर से सलीम व सईद के द्वारा बन्दूक के बट से व शेष अभियुक्तों के द्वारा लाठियों से मारपीट

किया जाना बताया गया है तथा अभियुक्त डग्गीराजा के द्वारा अपनी रिवॉल्वर से फरियादी के बाये हाथ के कंधे के पास गोली की चोट आने के संबंध में इन साक्षियों ने कथन दिये है।

- 43— अतः नारायण (अ0सा0-6) व आशराम (अ0सा0-7) के उपरोक्त कथनों को यदि देखा जाये, तो निश्चित रूप से नौ अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई उपरोक्त घटना के परिणाम स्वरूप फरियादी नारायण (अ0सा0-6) को शरीर में कई जगह चोटें आई होगी ऐसी घटना में यह स्वभाविक हैं, परन्तु घटना के पश्चात् फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने के संबंध में भरे गये मजरुब फार्म प्रदर्श-पी-8 में कुल 5 चोटों का परीक्षण कराये जाने का उल्लेख किया गया है जिसमें से डॉक्टर बाये0 एस0 रघुवंशी जिसके द्वारा फरियादी नारायण सिंह (अ0सा0-6) का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, का कहना है कि मजरुब फार्म प्रदर्श-पी-8 में उल्लेखित मुंदा चोट क्रमांक-3, 4 व 5 उन्होंने फरियादी के शरीर पर चिकित्सीय परीक्षण के समय नहीं पाई थीं।
- 44— डॉक्टर बाये0 एस0 रघुवंशी (अ0सा0-9) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उन्होंने फरियादी नारायण सिंह का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक-14.04.2004 को रात्रि 02:00 बजे किया था, जिसमें फरियादी के सिर में एक फटे हुये घाव के अलावा 3 अन्य चोटें और पाई थी, जिसमें से तीनों ही चोटें जलने के निशान की थी, जो कि 1.5 इंच गुणित 1 इंच बाये कंधे की बाहर की ओर, उपरोक्त चोट से 3.4 इंच की दूरी पर आधा इंच गुणित 1/3 इंच जलने का निशान एवं पीठ में दाहिनी ओर 3 गुणित 2 इंच का जलने का निशान फरियादी के शरीर पर उन्होंने पाया था।
- 45— डॉक्टर बाय एस रघुवंशी (अ0सा0-9) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में ही यह स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श-पी 15 में उल्लेखित 2 लगायत 4 की जलने के निशान की चोट गन शॉट इन्जरी नहीं है, बल्कि बर्न इन्जरी है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में यह स्पष्ट किया है कि गन शॉट इन्जरी में खून निकलना संभव होता है तथा उक्त इन्जरी में गन पाउडर पाया जाता है, डॉक्टर बाय एस रघुवंशी (अ0सा0-9) के द्वारा प्रदर्श-पी 15 की रिपोर्ट में वर्णित 2 लगायत 4 की चोटों में गन पाउडर नहीं पाया है तथा स्वयं इस साक्षी का यह कहना है कि इन चोटों में खून नहीं निकल रहा था तथा उक्त चोटें किसी गर्म चीज से आना संभव थी।

- 46— अतः डॉक्टर बाय एस रघुवंशी (अ0सा0-9) की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि फरियादी के चिकित्सीय परीक्षण में उसे रिवॉल्वर की गोली की कोई चोट नहीं थी। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि नारायण (अ0सा0-6) को रिवॉल्वर की गोली की कोई चोट कारित नहीं हुई थी तो डॉक्टर बाये एस0 रघुवंशी (अ0सा0-9) के द्वारा प्रदर्श-पी-15 के प्रतिवेदन में उल्लेखित 2 लगायत 4 की बर्न इन्जरी फरियादी के शरीर पर कैसे आई थी। उपरोक्त संबंध में सर्वप्रथम तो यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श-पी 15 में उल्लेखित चोट क्रमांक-3 व 4 के लिये मजरुब फार्म प्रदर्श-पी 8 भरा ही नहीं गया, जो यह दर्शित करता है कि जब मजरुब फार्म प्रदर्श-पी 8 भरा गया तो उपरोक्त चोटें फरियादी ने मजरुब फार्म भरने वाले निरीक्षक हुकुम सिंह यादव को बताई ही नहीं थी तथा मजरुब फार्म भरते समय फरियादी को कहीं पर भी गोली की कोई चोट नहीं थी। यदि उक्त चोटें प्रदर्श-पी 8 का फार्म भरते समय नहीं बताई गईं तो वह अचानक देर रात डॉक्टर बाये0 एस0 रघुवंशी (अ0सा0-9) के द्वारा किये गये चिकित्सीय परीक्षण में बर्न इन्जरी कैसे पाई गई।
- 47— बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (ब0सा0-1) के कथनों न्यायालय में कराये गये जिनके समक्ष सर्वप्रथम फरियादी नारायण (अ0सा0-6) को मजरुब फार्म प्रदर्श-पी-8 भरकर चिकित्सीय परीक्षण के लिये भेजा गया था, जिन्होंने फरियादी को गुना रैफर कर दिया था। इस साक्षी के द्वारा रैफरल की टीप प्रदर्श-पी 8 के सी से सी भाग पर है तथा बी से बी भाग के इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं जिसकी पुष्टि इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में की है। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (ब0सा0-1) ने अपने कथनों में ही स्पष्ट किया है कि नारायण सिंह दिनांक 13.04.2004 को जब चिकित्सीय परीक्षण के लिये उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ था, तो नारायण सिंह के शरीर पर कोई चोट नहीं थी और क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था इसलिए उसे गुना रैफर कर दिया था। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (ब0सा0-1) ने यह स्पष्ट किया है कि उस समय नारायण के गोली की कोई चोट नहीं थीं और न ही उसके शरीर पर कोई चोटें थी।
- 48— प्रकरण की विवेचना सी0आई0डी0 के निरीक्षक महीपाल सिंह (अ0सा0-10) के द्वारा की गई, जिन्होंने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि प्रडी 4 का पत्र उनके द्वारा लिखा गया है जिसमें डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (ब0सा0-1) से आहत नारायण को आई, चोटें व उसे गुना रैफर करने के संबंध में क्योंरी की गई थीं तथा इस साक्षी ने अपने कथनों में ही बताया है कि उक्त

क्योरी में डॉक्टर एस पी सिद्धार्थ ने यह रिपोर्ट दी थी कि नारायण सिंह को गोली की कोई चोट नहीं थी और क्योंकि वह सहयोग नहीं कर रहा था इसलिए स्वयं उसका परीक्षण न करते हुये डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ ने उसे गुना रैफर कर दिया था। प्रदर्श-डी-4 की क्योरी की पुष्टि स्वयं डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (ब०सा०-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है।

49— अतः डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (ब०सा०-1) जिनके द्वारा घटना के तुरन्त बाद फरियादी को सर्वप्रथम चिकित्सीय परीक्षण के लिये देखा गया, ने स्वयं ही यह स्पष्ट किया है कि उस समय फरियादी नारायण के शरीर पर न तो कोई चोट थी, और न ही गोली की ही कोई चोट उसके शरीर पर पाई गई थी, डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (ब०सा०-1) का यह कहना कि उनके द्वारा किय गये परीक्षण के समय फरियादी के शरीर पर गोली की चोट नहीं थी, की पुष्टि स्वयं डॉक्टर बाये० एस० रघुवंशी (अ०सा०-9) ने अपने कथनों में करते हुये फरियादी के शरीर पर कोई भी गन शॉट इन्जरी पाये जाने से स्पष्ट इन्कार किया है।

50— अतः चिकित्सीय साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर बाये० एस० रघुवंशी (अ०सा०-9) के द्वारा जो चोटें चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी नारायण (अ०सा०-6) के शरीर पर पाई गई उक्त चोटें घटना में कारित न होकर डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (ब०सा०-1) के परीक्षण के पश्चात् एवं स्वयं डॉक्टर बाये० एस० रघुवंशी (अ०सा०-9) के द्वारा किये गये परीक्षण की अवधि के अंदर की थी, जो कि घटना में कारित नहीं हुई थी। इस बात का प्रमाण यह भी है कि मजरूब फार्म प्रदर्श-पी-8 की चोट क्रमांक 1 व ऊपर की इबारत अलग हस्तलिपि में है तथा चोट क्रमांक 2 लगायत 5 की इबारत अलग हस्तलिपि में लिखी गई है। यदि मजरूब फार्म आहत की चोटों को देखकर या उसके बताये अनुसार हुकुम सिंह यादव के द्वारा भरा जा रहा है, तो वह एक ही बार में एक ही व्यक्ति के द्वारा भरा जाता, परन्तु उसमें अलग-अलग हस्तलिपि का उपयोग यह दर्शित करता है कि प्रदर्श-पी 8 में चोट क्रमांक 2 लगायत 5 की इबारत पश्चातवर्ती प्रक्रम पर जोड़ी गई है और यही कारण है कि डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (ब०सा०-1) के फरियादी नारायण के परीक्षण में उसे गोली की या किसी अन्य प्रकार की चोट नहीं पाई गई। वही डॉक्टर बाये० एस० रघुवंशी के द्वारा भी प्रदर्श-पी 8 में उल्लेखित चोट क्रमांक 3 लगायत 5 की चोट नहीं पाई गई।

51— फरियादी नारायण (अ०सा०-6) को डग्गी राजा के द्वारा रिवॉल्वर से कोई गोली

मारी जारी और उक्त गोली फरियादी के बाये हाथ में लगती तो निश्चित रूप से फरियादी के चिकित्सीय परीक्षण में इस प्रकार की कोई चोट पाई जाती, परन्तु चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि ऐसी कोई गन शॉट इन्जरी फरियादी के शरीर पर नहीं थीं। बाय0 एस0 रघुवंशी (अ0सा0-7) ने अपने न्यायालीन कथनों में जलने का निशान फरियादी के कंधे पर व पीठ में दाहिनी ओर पाया है, जो कि गोली से आना सम्भव नहीं है, क्योंकि गाली फरियादी को लगती तो पीठ में जलने की निशान की चोट आते।

52— घटना में यदि वास्तव में नारायण (अ0सा0-6) को गोली लगती, तो वह बताने की स्थिति में होता कि वास्तव में उसे गोली कहा पर लगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में रिवॉल्वर से बाई बांह में चोट पहुंचाना लेख कराया गया है, जिसमें गोली लगने का कोई उल्लेख नहीं है। वही नारायण बाये हाथ में कंधे के पास अपने परीक्षण की कण्डिका-2 में गोली लगना बताता है। जबकि प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-9 में बाये बाजु में गोली लगना बताता है। आशाराम (अ0सा0-7) अपने परीक्षण में बाये हाथ के बाजु में फरियादी को गोली लगना बताता है तथा फरियादी के हाथ में गोली से गड़डा बन जाना बताता है। जबकि बाये हाथ में बाजु में चिकित्सीय परीक्षण में गोली की कोई चोट पाई ही नहीं गई तथा कंधे पर जले ही हुये निशान की चोट पाये गये, जो बाय0 एस0 रघुवंशी (अ0सा0-7) के साथ गन शॉट इन्जरी भी नहीं है। जो कि फरियादी के द्वारा कथित गोली लगने की घटना को संदेह के घेरे में ले आता है।

53— यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त डग्गीराजा ने अपनी रिवॉल्वर से फायर कर नारायण (अ0सा0-6) को बाये हाथ में गोली मारी थीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-6 में मात्र यह लेख है कि डग्गीराजा ने रिवॉल्वर से चोट पहुंचाई, जिससे फरियादी की बाये बांह में लगी, और खून निकला यदि वास्तव में रिवॉल्वर से फायर किया गया था, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही इस बात का उल्लेख होता, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही डग्गीराजा के द्वारा रिवॉल्वर से फायर कर नारायण (अ0सा0-6) को उपहति कारित करने का कोई उल्लेख न होना तथा चिकित्सीय साक्ष्य से फरियादी के शरीर पर गन शॉट इन्जरी न पाते हुये अलग ही प्रकार के जलने की चोट पाया जाना एवं डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ के परीक्षण के समय फरियादी के शरीर पर कोई चोटों का न होना यह दर्शित करता है कि डॉक्टर बाये0 एस0 रघुवंशी (अ0सा0-9) के द्वारा जो चोटें फरियादी के शरीर पर पाई गई थी, वह अभियुक्तगण के द्वारा कारित न की

जाकर किसी पश्चातवर्ती सोच का परिणाम थी तथा उक्त चोटें डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (ब0सा0-1) व डॉक्टर बाये0 एस0 रघुवंशी (अ0सा0-9) के द्वारा किये गये परीक्षण की अवधि के बीच की थीं। जिनका घटना से कोई लेना-देना नहीं है।

54- यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में की गई विवेचना में स्वयं महीपाल सिंह (अ0सा0-10) के द्वारा साक्षियों के कथन एवं डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (ब0सा0-1) से की गई प्रदर्श-डी 4 कि क्योरी के आधार पर अभियुक्तगण पर से भा0द0वि0 की धारा 307 हटाई थी, अतः स्वयं महीपाल सिंह (अ0सा0-10) के द्वारा प्रकरण में लिये गये कथन एवं डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (ब0सा0-1) से प्राप्त क्योरी पर विश्वास किया गया था, जिससे डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (ब0सा0-1) के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रह जाता है कि जब नारायण (अ0सा0-6) चिकित्सीय परीक्षण के लिये डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (ब0सा0-1) के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उसके शरीर पर प्रदर्श-पी-15 के प्रतिवेदन में उल्लेखित कोई चोट नहीं थी।

55- महीपाल सिंह (अ0सा0-7) के द्वारा भी ऐसी कोई रिवाल्वर से गन शॉट इन्जरी की चोट विवेचना में नहीं पाई गई, और इसी कारण से अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 324 या 326 में अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में रिवाल्वर से गोली लगने की घटना नारायण सिंह (अ0सा0-6) के द्वारा लेख कराई जाती, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट भी भा0द0वि0 की धारा 323 में दर्ज न होकर कम से कम धारा 324 में दर्ज होती, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट का भा0द0वि0 की धारा 323 में दर्ज होना भी यह दर्शित करता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किये जाने तक रिवाल्वर से गोली लगने की कोई चोट का उल्लेख फरियादी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट या चिकित्सीय परीक्षण के समय नहीं किया गया और इसी कारण से डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (ब0सा0-1) के द्वारा फरियादी के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई तथा स्वयं अभियोजन के ही साक्षी अब्दुल नसीम (अ0सा0-1), राजू (अ0सा0-3) व महेश चौहान (अ0सा0-4) पुलिस को दिये गये कथनों में डग्गीराजा के द्वारा रिवाल्वर से गोली मारने की घटना से इन्कार करत है तथा स्वयं अभियोजन साक्षी मुकेश कुमार (अ0सा0-2) अपने न्यायालीन कथनों में भी इस बात का खण्डन करता है कि जो कि पूरी तरह से विश्वसनीय है।

- 56— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि डग्गीराजा के द्वारा घटना में फरियादी को कोई गोली नहीं मारी गई तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद हुये प्रतिपरीक्षण में नारायण (अ0सा0—6) को शरीर पर कोई चोटें नहीं थीं। यदि सभी अभियुक्तों के द्वारा बन्दूक के बट और लातघूसों से मारपीट की जाती, तो यह संभव ही नहीं था कि नारायण (अ0सा0—6) के शरीर पर कोई चोटें न होती। अतः ऐसे में उपरोक्त आधार पर कन्छेदी साहू के होटल पर सतपाल से हुये नारायण सिंह (अ0सा0—6) के विवाद तक तो अभियोजन कहानी प्रमाणित है कि परन्तु इसके पश्चात् की घटना अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर लेषमात्र भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।
- 57— कन्छेदी साहू के होटल के बाहर की घटना निश्चित रूप से राजनैतिक प्रभाव का काल्पनिक परिणाम प्रतीत होती है। जिसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जमानतीय अपराधों में दर्ज की गई, तथा जमानतीय अपराध होने पर भी बिना धारा बढ़ाये हुकुम सिंह यादव (अ0सा0—8) के द्वारा प्रदर्श—पी 9 लगायत 14 के गिरफ्तारी पत्रक के अनुसार गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई एवं अभियुक्तगण पर दर्ज जमानतीय अपराध में भी उन्हें जमानत पर थाने से नहीं छोड़ा गया। हुकुम सिंह यादव (अ0सा0—8) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में स्वयं यह स्वीकार करता है कि अभियुक्तगण को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजने तक गन शॉट इन्जरी का कोई प्रमाण उसके पास नहीं था तथा प्रदर्श—पी—9 की रिपोर्ट ही उसे दिनांक 14.04.2004 को रात्रि में थाने में पर प्राप्त हुई थीं। फरियादी नारायण (अ0सा0—6) के शरीर पर पाई गई चोटों को यदि तर्क के लिये प्रदर्श—पी 9 के अनुसार सत्य भी मान लिया जावे, तब भी उक्त चोटों में से कोई भी चोट भा0द0वि0 की धारा 320 के तहत गंभीर उपहति की श्रेणी में नहीं आती है। अतः ऐसे में थाना प्रभारी हुकुम सिंह यादव (अ0सा0—8) के द्वारा की गई कार्यवाही पर भी सवालिया निशान लग जाता है, जो यह दर्शित करता है कि संभावतः उसके द्वारा राजनैतिक प्रभाव में संपूर्ण कार्यवाही की गई।
- 58— प्रकरण में अभियोजन के समर्थन में मात्र नारायण (अ0सा0—6) व आशराम (अ0सा0—7) की मौखिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसमें आशराम (अ0सा0—7) की साक्ष्य से उसकी घटना स्थल पर उपस्थिति प्रमाणित नहीं होती है, वही नारायण (अ0सा0—6) के द्वारा की गई रिपोर्ट एवं न्यायालय में दिये गये कथन पर उपरोक्त विवेचन के आधार पर विश्वास करने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है। चिकित्सीय साक्ष्य से भी इस बात की पुष्टि होती है कि

नारायण (अ0सा0-6) के चिकित्सीय परीक्षण में डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (ब0सा0-1) ने कोई चोटें नहीं पाई थी, जो यह दर्शित करती है कि कन्छेदी साहू के होटल के बाहर अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट की कोई घटना कारित ही नहीं की गई तथा नारायण (अ0सा0-6) के द्वारा कन्छेदी साहू के होटल के बाहर बताई गई मारपीट की घटना पश्चात्तर्वर्ती सोची समझी राजनैतिक द्वेष का परिणाम हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है।

59— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर जब यही प्रमाणित नहीं है कि कन्छेदी साहू के होटल के बाहर अभियुक्तगण ने टाटा सूमो से आकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर फरियादी नारायण (अ0सा0-6) के साथ मारपीट कर कोई उपहति कारित की, तो उक्त आधार पर स्वतः ही यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने दिनांक-13.05.2004 को शाम लगभग 06:00 बजे बस स्टेण्ड पर किसी विधि विरुद्ध जमाव का गठन का घातक आयुद्धो से सुसज्जित होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी पर बल का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं फरियादी को कोई स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित की। अभियुक्तगण के द्वारा बस स्टेण्ड चंदेरी पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की कोई धमकी दी गई इस आशय की भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि उन्होंने सत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

60— फलतः अभियुक्त सतपाल सिंह पुत्र साधु सिंह सिख, विक्रम सिंह पुत्र कुलवंत सिंह सिख, शहीद खां पुत्र गफूर खां मुसलमान, सलीम खां पुत्र सुलेमान, यशपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह परमार, नारायण पुत्र गनेश प्रसाद शर्मा, गोपाल सिंह उर्फ डग्गीराजा पुत्र चंद्रभान सिंह चौहान, लाडा उर्फ काबिज सिंह पुत्र निर्भय सिंह सिख, सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह सिख के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 323, 326 अथवा 323/149, 326/149, 506 बी के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त सतपाल सिंह पुत्र साधु सिंह सिख, विक्रम सिंह पुत्र कुलवंत सिंह सिख, शहीद खां पुत्र गफूर खां मुसलमान, सलीम खां पुत्र सुलेमान, यशपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह परमार, नारायण पुत्र गनेश प्रसाद शर्मा, गोपाल सिंह उर्फ डग्गीराजा पुत्र चंद्रभान सिंह चौहान, लाडा उर्फ काबिज सिंह पुत्र निर्भय सिंह सिख, सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह सिख भा0द0वि0

की धारा 147, 148, 323, 326 अथवा 323/149, 326/149, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

61-अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)